

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 224/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/333

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

दीपाराम पुत्र प्रभुराम

जाति जाट

निवासी खेमसर नगर

(भाखरी खेडा)

तहसील पचपदरा व जिला

बालोतरा

1.गुलाराम पुत्र लाखाराम

2.जेठाराम पुत्र लाखाराम

3.रूपाराम पुत्र लाखाराम

4.सोनाराम पुत्र लाखाराम

जाति जाट निवासी सरली,

बांकासर व तहसील व जिला बाड़मेर

5.रेखाराम पुत्र दोलाराम

6.बन्नाराम पुत्र दोलाराम

जाति जाट निवासी खेमसर नगर

(भाखरी खेडा)तहसील पचपदरा व जिला

बालोतरा

7.जेठाराम पुत्र पूनमाराम जाति भील

निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा

8.गंगाराम पुत्र खेराजराम

9.ताजाराम पुत्र चुतराराम जाति जाट

निवासी डुडियो की ढाणी,

तहसील रावतसर व जिला बाडमेर

10.जतनो देवी पत्नि राणाराम

11.रामेश्वर पुत्र राणाराम

12.सन्तोषराम पुत्र राणाराम

13.स्वरूपाराम पुत्र राणाराम

14.सवाईराम पुत्र राणाराम जाति जाट

निवासी आईनाथ गौशाला के पास,

सांसी कालोनी बालोतरा

15.जीयाराम पुत्र खेराजराम फौत के

कायम मुकाम :-

15/1.केसाराम पुत्र जीयाराम



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

15/2.जोगाराम पुत्र जीयाराम

15/3. अमराराम पुत्र जीयाराम

जाति जाट निवासी खेमसर नगर  
(भाखरी खेडा) तहसील पचपदरा व  
जिला बालोतरा

16.ताजाराम पुत्र चुतराराम

17.नवालाराम पुत्र चुतराराम

18.पुरोदेवी पत्नि चुतराराम जाति जाट  
निवासी भाखरी खेडा (टापरा)

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

19. भूराराम पुत्र वगताराम जाति जाट  
निवासी खेमसर नगर (भाखरी खेडा)

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

20.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार  
पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1.श्री ओम प्रकाश डाबी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 28/11/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम श्री खेमसर नगर पटवार हल्का मेवानगर, तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1053/429 क्षेत्रफल 7.5676 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम श्री खेमसर नगर पटवार हल्का मेवानगर, तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1053/429 क्षेत्रफल 7.5676 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम श्री खेमसार नगर पटवार हल्का मेवानगर, तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1053/429 क्षेत्रफल 7.5676 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा कायम चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के रोड़ा रोड़ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के रोड़ों को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी गाड़ों को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते हैं। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे हैं। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम श्री खेमसार नगर पटवार हल्का मेवानगर, तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1053/429 क्षेत्रफल 7.5676 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम श्री खेमसार नगर पटवार हल्का मेवानगर, तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1053/429 क्षेत्रफल 7.5676 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी में है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर सेड़ा पड़ोसीयो में सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबन्दी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटारे जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 21.5.2025 की अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटारा जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतारा

खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम श्री खेमसर नगर पटवार हल्का मेवानगर, तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1053/429 क्षेत्रफल 7.5676 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए नियमानुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है।



(अशोक कुमार) 28/11/2025  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28/11/2025 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 28/11/2025  
बालोतरा